

FROM No.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलेक्टर (SDO) वायतु ..... मुकाम.....  
..... बनाव ..... करण सिंह वगैरे  
किस्म मुकदमा..... नं. 98/18 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/3/18	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>रिण्डाराम मिश्रा</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128</u> राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्तं जवाब दिनांक <u>29/3/18</u> को पेश हो।  सहायक कलेक्टर (SDO) वायतु	
29/03/18	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल क्रम तामिल भ्रष्टाचार/इन्तजार होडर पत्रावली दिनांक 12/04/18 को पेश हो।  सहायक कलेक्टर (SDO) वायतु	
12/04/18	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल बुद्धा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली क्रमा गमा। विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। प्रार्थी के  सहायक कलेक्टर (SDO) वायतु	

अधिवक्ता की एडप्लीय बटल हुनी गई।  
 जहाँ से अधिवक्ता ने बालका की जर्नी के  
 अपने खातेदारों के चारों ओर पक्के नेचम  
 स्थापित करवाने का प्रयत्न है। इसलिये जहाँ  
 3) नेचमवनी कावेन स्वीडर बीमा जाडर  
 नेचमवनी आदेश दिया जावे। नेचमवनी  
 कावेन स्वीडर बीमा जाडर लहलीलडर गिडा  
 को इमिग्रान्ट नियुक्त किया जाला है व कावेन  
 दिया जाला है कि फायर रकम या अपने अधि-  
 नदय किसी भी रूप में निरमित से जर्नी  
 के खातेदारों के पक्के नेचमवनी मोडे पर  
 दुल्ड जमाडाडर करे, पालना रिपोर्ट अल्ट होने पर  
 शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फेसल सुधार हो, इज  
 नदर ले इय हो, दाखिल इफ्त हो।

**सहायक कलक्टर (SDO)**  
**बायत**

25/04/19

जर्नी वकील उपलब्ध। जर्नी वकील द्वारा एड  
 जर्नीना-पत्र वादते पत्रावली तलब कर पालना रिपोर्ट  
 अनुसार नेचमवनी सुलना करने का बतल कर अडुन हीया  
 गया। जर्नीना-पत्र स्वीडर बीमा जाडर पत्रावली आज पैसी  
 लीय पर तलब की गई लहलीलडर गिडा से अल्ट  
 पालना रिपोर्ट को शामिल पत्रावली हीया गया। पालना  
 रिपोर्ट पर जर्नी के अधिवक्ता को लुना गया। जर्नी  
 के अधिवक्ता ने बतलाया की पालना रिपोर्ट के संलग्न  
 मोडे में इलाक़ा नजरी नम्बो में इलाक़ा गये विन्दु संख्या  
 1 से 12 को सुलना हीया जावे।

अतः जर्नी अधिवक्ता के निवेदन पर लह-  
 लीलडर गिडा से अल्ट पालना रिपोर्ट के संलग्न नजरी  
 नम्बो में इलाक़ा गये विन्दु संख्या-1 से 12 को सुलना किया  
 जाला है। पत्रावली पुनः दाखिल इफ्त हो।

**सहायक कलक्टर (SDO)**  
**बायत**

क्रमांक/वाद/2018/ 520  
राजस्व आवेदन संख्या - 98/18

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. श्री बागसिंह पुत्र खीमसिंह वगैरा 5 जाति राजपूत निवासी केरलीनाडी, पूनियों का तला तह. गिडा जिला बाड़मेर		1. श्री करणसिंह पुत्र डूंगरसिंह वगैरा 13 निवासी केरलीनाडी, पूनियों का तला तह. गिडा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

**आदेश**

मौजा केरलीनाडी पटवार हल्का पूनियों का तला के खेत खसरा नम्बर 605/487 रकबा 78.12 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भूअ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेत का सीमाज्ञान कर, पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिडा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(हेतुसिंह चौहान) (SDO)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक - 12/4/18

क्रमांक/वाद/2018/ 521 to 525  
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, गिडा।
2. पटवारी हल्का, पूनियों का तला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री बागसिंह पुत्र खीमसिंह वगैरा 5।
4. विप्रार्थीगण श्री करणसिंह पुत्र डूंगरसिंह वगैरा 13।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिडा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर (SDO)  
बायतु

